संख्या:75/2017/696/35-4-2017

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकरी
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर,2017

विषय: वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में पेयजल से संबंधित 18 कार्यों की शासनादेश संख्या-1322(1)/35-4-2014 दिनांक 28 अक्टूबर,2014 के द्वारा रू. 6809.88 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 3404.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-57/2015/177/35-4-2015 दिनांक 19 फरवरी,2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रा0 पाठशाला/जुह0हा0 स्कूलों में नये/रिबोर हैण्डपम्प हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 16.07 लाख तथा शासनादेश संख्या-97/2015/270/35-4-2015 दिनांक 13 मार्च,2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 1525 नग नये हैण्डपम्प हेतु द्वितीय किश्त में रू. 387.99 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार हैण्डपम्पों से संबंधित कार्यों हेतु पूर्ण धनराशि अवमुक्त हुई। तत्पश्चात 16 ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के लिये शासनादेश संख्या-233/2015/886/35-4-2015 दिनांक 16 जुलाई,2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 1500.44 लाख की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-30/2016/83/ 35-4-2016 दिनांक 13 जनवरी,2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 800.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार पेयजल के 18 कार्यों की लागत रू. 6809.88 लाख के सापेक्ष रू. 6109.44 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिलाधिकारी कन्नौज के पत्र संख्या:486/ त्व0आ0वि0यो0/ डीएसटीओ/2017-18 दिनांक 27 अक्टूबर,2017 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार शेष कार्यों हेतु प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त की अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 700.44 लाख (रूपये सात करोड़ चौव्वालीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	कलसान ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	656.48	542.36	114.12
2	मिरगांवा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	345.13	308.85	36.28
3	नादेमऊ ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	716.98	648.75	68.23
4	कसावा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	548.14	461.10	87.04
5	करनौली ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	242.37	231.77	10.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
6	बेलामऊ ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	367.56	325.67	41.89
7	सकरावा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	516.08	437.06	79.02
8	बहोसी ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	303.33	277.50	25.83
9	लाख ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	373.95	330.47	43.48
10	पूराराय ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	518.28	438.71	79.57
11	मढ़पुरा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	657.52	543.14	114.38
	योग	**5245.82**	**4545.38**	**700.44**

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 28 अक्टूबर,2014, 16 जुलाई,2015 तथा 13 जनवरी,2016 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2018 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2018 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार से सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या:75/2017/696(1)/35-4-2017 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6-मण्डलायुक्त, कानपुर ।
7-मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज ।
8-प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9-कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकरी, कन्नौज ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज ।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।